न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 137/2017

1. हरिन्द्र चीमा (पुत्री मनजीत सिंह ढ़िल्लो) पत्नी स्व0 श्री दातार सिंह जाति जटसिख उम्र 72 वर्ष निवासी चक 4 ई छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. गुरसिमरत कौर पुत्री तेजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. तेजेन्द्र सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् स्थायी निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रिशिपाल जोशी अधिवक्ता — वादी
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 31.07.2017

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नीयम 14 के तहत अपेक्षित वादिया एवं प्रतिवादी का रजिस्टर वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रतिवादीया संख्या 1, वादीया के सगे भाई तेजेन्द्र सिंह की पुत्री यानि भतिजी है।

चक 4 ई छोटी पटवार हल्का 2 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 12/39 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादिया के भाई की पुत्री/प्रतिवादी संख्या 1 (गुरसिमरत कौर पुत्री तेजेन्द्र सिंह) के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है।

उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 गुरसिमरतकौर के पिता/प्रतिवादी संख्या 2 तेजेन्द्र सिंह ने एक राय होकर हरदेव सिंह पुत्र अमरसिंह से वसीयत करवाई तथा उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण संख्या 182 दिनांक 28/04/2010 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 गुरसिमरतकौर के नाम करवाई जबकि उक्त कृषि भूमि हरदेव सिंह पुत्र अमरसिंह द्वारा वादीया को दी हुई है तथा आज भी वादिया के कब्जा व काश्त में है तथा कभी भी प्रतिवादीया संख्या 1 के कब्जा काश्त में नहीं रही है। प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से हुए उक्त वसीयत इन्तकाल से वादीया के काश्त के हक व हित प्रभावित हुए हैं।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 1 ने वसीयत के द्वारा दर्ज करवाई गई कृषि भूमि वादीया की है तथा वादीया विगत लम्बे समय से काबिज काश्त है तथा हरदेवसिंह पुत्र अमरसिंह द्वारा वादीया को दी हुई है। वादीया ने उक्त कृषि भूमि में काफी मेहनत व राशि खर्च करके समतल किया व कृषि योग्य बनाया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वसीयत अनुसार करवाया गया नामान्तरण वादीया के हक व अधिकारों पर बेअसर है। वादीया अपने कब्जा काश्त की भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारी है।

उक्त भूमि वादीया के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीया को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीया उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकती है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकती है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 गुरसिमरत कौर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसकी खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादीया संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादीया को धमकियां देती रहती है।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर पर मुन्तकिल करने की कोशिश में है जबकि वादीया उक्त कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादीया ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 16/07/2017 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया है। यही बिनाय मुखास्मत है।

प्रतिवादी संख्या 2 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार सादिर फरमाये जाने बाबत निवेदन किया:–

(क) प्रतिवादी संख्या 1 (गुरसिमरत कौर पुत्री तेजेन्द्र सिंह) के नाम दर्ज चक 4 ई छोटी पटवार हल्का 2 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 12/39 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादीया (हरिन्द्र चीमा (पुत्री मनजीत सिंह ढ़िल्लो) पत्नी स्व0 श्री दातार सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ई छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ख) उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग) स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादी, वादीया के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजरी कारित नहीं करे।

(घ) वादीया को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(ड) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान श्री रिशिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वाद में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगों ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 (गुरसिमरत कौर पुत्री तेजेन्द्र सिंह) के नाम दर्ज चक 4 ई छोटी पटवार हल्का 2 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 12/39 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादीया (हरिन्द्र चीमा (पुत्री मनजीत सिंह ढ़िल्लो) पत्नी स्व0 श्री दातार सिंह जाति जट सिख निवासी 4 ई छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की है तथा उनके कब्जा काश्त में है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 (गुरसिमरत कौर पुत्री तेजन्द्र सिंह) के नाम दर्ज चक 4 ई छोटी पटवार हल्का 2 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 12/39 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादीया (हरिन्द्र चीमा) (पुत्री मनजीतसिंह ढ़िल्लो) पत्नी स्व0 श्री दातार सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ई छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादी एवम् प्रतिवादी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 (गुरसिमरत कौर पुत्री तेजेन्द्र सिंह) के नाम दर्ज चक 4 ई छोटी पटवार हल्का 2 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 12/39 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादीया (हरिन्द्र चीमा (पुत्री मनजीत सिंह ढ़िल्लो) पत्नी स्व0 श्री दातार सिंह जाति जट सिख निवासी 4 ई छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की है तथा उनके कब्जा काश्त में है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 (गुरसिमरत कौर पुत्री तेजन्द्र सिंह) के नाम दर्ज चक 4 ई छोटी पटवार हल्का 2 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 12/39 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादीया (हरिन्द्र चीमा) (पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

ननजीतसिंह ढ़िल्लो) पत्नी स्व0 श्री दातार सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ई छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 31.07.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर